



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 18 अगस्त, 2021

श्रावण 27, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-2

संख्या 01 / 2021 / 597 / 30-2-21-60एन-73

लखनऊ, 18 अगस्त, 2021

अधिसूचना

प0आ0-269

चूँकि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है। अतएव अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय इस आदेश के प्रकाशन के दिनांक से 06 माह की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अधीन समस्त सेवाओं में, जिन्हें सरकारी अधिसूचना संख्या 5447/30-2-60एन/73 दिनांक 31 अक्टूबर, 1983 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अत्यावश्यक सेवाएं घोषित किया गया है, हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

2-उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन राज्यपाल महोदय यह भी आदेश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाय।

आज्ञा से,
राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 01/2021/597/XXX-2-2021-60N-73, dated August 18, 2021:

No. 01/2021/597/XXX-2-2021-60N-73

Dated Lucknow, August 18, 2021

WHERE As, the state Government is satisfied that in public interest it is necessary and expedient so to do.

NOW THEREFORE, in exercise of the power under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P. Act no. XXX of 1966) the Governor is pleased to order that during a period of six months from the date of publication of the order strikes are prohibited in the services under the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation, Which have been declared as essential services for the purpose of said Act by Government Notification no. 5447/XXX-2-60N/73, dated October 31, 1983.

2. Under sub-section (2) of the said section, the Governor is further pleased to direct that this order shall be published in the *Gazette*.

By order,
RAJESH KUMAR SINGH,
Pramukh Sachiv.